

२०/११/२०२०

वाडी की ओर से जीपे वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद कागे नहीं चलाना जादिए कर वाड विडो किये जाने की अडुमति हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली जाकर प्रार्थना पत्र शामिल गिनत किया गया। वाडी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाड वाडी विडो (प्रत्याहति) करने की अडुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली केसस शुक्रा व दर्प नम्बर से कर लेखा दाखिल करवा हो।

राजपाल सिंह
पटना
१९५५

सुपरी (कानून)
अधिकारी

